

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

.....
बनाम खशकाराम आदि

दावा बाबत :- 88 R/A ct

मुकदमा नम्बर :- 285/2021

निर्णय दिनांक :- 22-10-2021

वादी की ओर से वकील पुनम चन्द वर्मा की व प्रतिवादी सं0 1013 की ओर से वकील अदामि कुमार वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रौदी राजा निरानी के खाता सं० 235/285 के मु.न. 77 के किला नं. 11 मु.न. 78 के किला नं. 15, मु.न. 95 के किला नं. 11 वा 15, मु.न. 226 के किला नं. 8, 9, 12, 13, 18, 19 कुल 3.289 हे.हा.बि. मुनि प्रतिवादी सं 1 के नाम से खोले गये हैं व रौदी चक 8852 के खाता सं 124/125 के मु.न. 77 के किला नं. 24/2, 25 मु.न. 108 के किला नं. 4/2, 5, 6, 7/2, 14/2, 15 कुल 1.898 काटाना के रास्ता प्रतिवादी सं 1 के नाम से खोले गये हैं। रा.सं. के दल है कि प्रतिवादी सं 1 के खजाने वादी व प्रतिवादी सं 1 का उ.का. की विस. का बरकरार रखे। खोले गये खाते के ब्यक्ति के मु.जाल है व यदि मुनि के खाते के रखे व रखे हुए होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड के कुशल परामर्श किया जाये। राजीनामा को डिक्री का आज पढा जाये।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़
जि.सं. 2021